तारीख हुक्म

पत्रावली पेश हुई उपस्थित उभय पक्षगण

10.7.25 पत्रावली पेश हुई उपस्थित उभय पक्षगण पत्रावली पेश हुई बहस हेतु अवसर चाहते है। मे वकील विपक्षी बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र मे दिनांक 18.8.25 को पेश हो।

18.8.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 26.8.25 को पेश हो।

26.8.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस प्रा.पत्र आदेश 09 नियम 09 जा.दी पर सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि दिनांक 19.7.23 को वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे नो इंस्ट्रक्शन कर दिया जाने से दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को वादी के अधिवक्ता द्वारा नही दि गई, और न ही पेशी की जानकारी वादी गण को थी। जिससे पेशी दिनांक पर वादी गण उपस्थित नही हो सके। वादीगण के अनुपस्थिति का कारण माकूल रहा है। अत: प्रार्थी गण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 19.7.2023 को पारित आदेश को अपास्त कर पुन: वाद पत्र को नम्बर पर लिया जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। प्रकरण मे वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया. वादीगण को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त मामले की जानकारी होने के बावजूद प्रकरण मे उपस्थिति नहीं दी गई वादी गण ने अपनी स्वयं की मर्जी से जान बूझकर खारिज करवाया है। आदेश 09 नि-09 सपठित के तहत वादी को वादी द्वारा निर्धारित तिथी पर न्यायालय मे उपस्थित न होने का कारण दर्शाना होता है। जो नहीं दर्शाया है। सीमा अधि-1963 के अनुच्छेद 122 के तहत मामले को खारिज करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आदेश 09 के तहत मामले को बहाल करने के लिए आवेदन किया जाना होता है। जो वादीगण ने नहीं किया है अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व न्यायिक दृष्टान्तों एवं प्रकरण का गहन अवलोकन किया गया। एवं प्रकरण के साथ मूल वाद का भी अवलोकन किया। मूल वाद का अवलोकन करने पर दिनांक 19-7-2023 को वकील वादी ने प्रकरण मे नो इंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जिस पर वकील वादी के हस्ताक्षर है। किन्तु वादी गण के हस्ताक्षर नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी गण को नो इंस्ट्रक्शन किये जाने कि कोई जानकारी नहीं है। CPC के प्रावधानों के अनुसार नो-इंस्ट्रक्शन किये जाने से पूर्व अपने पक्षकार को सूचना देना आवश्यक होता है। जो नहीं दि गई, जिससे वादीगण का वाद नो इंस्ट्रक्शन किया जाने से दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया। CPC के प्रावधानो के अनुसार प्रकरण को खारिज करने की तारीख से 30 दिवस की अन्दर अवधि मे आदेश 09 नि-09 के तहत प्रकरण को बहाल करने के लिए आवेदन किया जाना होता है। किन्तु प्रकरण को वादी गण के अधिवक्ता के द्वारा नो इंस्ट्रक्शन किया गया था। जिसकी जानकारी वादी गण को अधिवक्ता ने नहीं दि गई, प्रकरण घोषणा का है। जिसमे तनकीजायम भी बनकर वादी गण के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत हो चुके है। किन्तु प्रकरण मे वादी गण के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन किया	

तारीख हुक्म

तारीख हुक्म

जाने से मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। जिसे दोनो पक्षो को सुना जाकर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्याय संगत समझते हैं।

10.7. अत: प्रा॰पत्र आदेश 09 नि॰09 आ॰दी॰ का 500/- अक्षरे पाँच सौ॰रु कोष्ट पर स्वीकार किया जाता है। प्र॰स॰ 31/14 व अनवान सत्य नारायन बनाम धापू वाद अ॰धा॰88 RTA को पुन॰ दर्ज रजिस्ट्रर किये जाने के आदेश दिये

18 जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।